

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर
जगदीश प्रसाद गुप्ता बनाम मोहन गुप्ता
प्रार्थना पत्र (खा0सु0) 12/2021

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 12/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. मोहन गुप्ता पुत्र सांवल सिंह उम्र 65 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स
अन्नपूर्णा डिपार्टमेंट स्टोर, मुखर्जी नगर भरतपुर निवासी जामा मस्जिद भरतपुर।
2. राजेन्द्र खण्डेलवाल (मालिक) मैसर्स मदनलाल राजेन्द्र कुमार जामा मस्जिद भरतपुर।
3. शिवशंकर खण्डेलवाल (मालिक) मैसर्स श्री हरि इण्डस्ट्रीज, 42, हरिहर बिहार, लक्ष्मी नारायणपुरा,
अखेपुरा वीकेआई एरिया जयपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011


उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 25.10.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स
2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 08.02.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को
जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 25.10.2021 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की


न्याय निर्णयन अधिकारी

सकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 05.10.2020 को दोपहर बाद 01.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स अन्नपूर्णा डिपार्टमेंट स्टोर, मुखर्जी नगर भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आमजन के लिये विक्रय हेतु लकडी के फर्नीचर में 200 ग्राम वजनी पैकिंग के 11 पैकेट कूटू का आटा (आयुष भोग ब्राण्ड) रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/506/एक्ट/2020/577 दिनांक 19.10.2020 द्वारा उक्त कूटू का आटा (आयुष भोग ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbranded Food) प्रकृति का कूटू का आटा (आयुष भोग ब्राण्ड) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।


आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स अन्नपूर्णा डिपार्टमेंट स्टोर, मुखर्जी नगर भरतपुर से कूटू का आटा (आयुष भोग ब्राण्ड) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जांच रिपोर्ट में मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त कूटू का आटा (आयुष भोग ब्राण्ड) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त कूटू का आटा (आयुष भोग ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरुख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 05.10.2020 को दोपहर बाद 01.30 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु कूटू का आटा (आयुष भोग ब्राण्ड) करीब 200 ग्राम वजनी पैकिंग के 11 पैकेट

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर
जगदीश प्रसाद गुप्ता बनाम मोहन गुप्ता
प्रार्थना पत्र (खा0सु0) 12/2021

खुद हुए पाये गये। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/506/एक्ट/2020/577 दिनांक 19.10.2020 के द्वारा उक्त कूटू का आटा (आयुष भोग ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार U/S 3(1)(Zf)(c)(i) of FR&S Act 2006, It is contravention of the Regulation No. 2.2.2(10) of FS&S (Packaging & Labelling) Regulation की कमियां पाई गई है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5000/-रूपये (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।


(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)